रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257559 CG-DL-E-27092024-257559

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] No. 555]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

सा.का.िन. 597(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अनुसचिवीय काडर के अधीन हैड कांस्टेबल(दफ्तरी), हैड कांस्टेबल(फर्राश) और हैड कांस्टेबल(सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) के पदों पर भर्ती पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात: -

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, अनुसचिवीय काडर, हैड कांस्टेबल (दफ्तरी), हैड कांस्टेबल(चपरासी), हैड कांस्टेबल(फर्राश) और हैड कांस्टेबल(सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना.**-ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6295 GI/2024 (1)

5. निरर्हता.-वह व्यक्ति,-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **गैर-भारतीय नागरिकों की अपात्रता.-**वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों को बल में नियुक्ति या नियोजित करने से वर्जित नहीं किया जाएगा ।

7. अधिवर्षिता.- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति जिस मास में साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता/करती है, उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जैसा विहित किया जाए:

परंतु वह व्यक्ति जिसकी जन्म तारीख मास की पहली तारीख को है, वह सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा।

- (2) उप नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विहित आयु के परे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा ।
- 8. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 9. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद या अचयन पद।
			स्तर।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. हैड कांस्टेबल	*75 (2024)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन ।
(दफ्तरी)	*कार्यभार के आधार पर	'ग',	स्तर-4	
	परिवर्तन किया जा सकता	अस्यानित अन्यानितीय	(25500-	
	है ।		81100 रू.) ।	
	3	अराजपत्रित, अनुसचिवीय, योद्धक ।	`	

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में ऐसे कांस्टेबल(दफ्तरी) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) अभ्यर्थी,- (i) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तारीख 15 दिसंबर, 2008 के स्थाई आदेश सं04 के अनुसार चिकित्सा प्रवर्ग शेप-। में हो; तथा (ii) सेवा का अच्छा रिकॉर्ड हो। टिप्पण - जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है या प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह (ग) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. हैड कांस्टेबल	*131 (2024)	साधारण केंद्रीय सेवा	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन ।
(चपरासी) ।	*कार्यभार के आधार पर	समूह 'ग',	स्तर-4	
	परिवर्तन किया जा सकता	अराजपत्रित ,	(25500-81100	
	है ।	·	रू.) ।	
	·	अनुसचिवीय, योद्धक ।		

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा ।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता ।
(क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में ऐसे	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें	
कांस्टेबल (चपरासी) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की	निम्नलिखित होंगे:-	
नियमित सेवा की हो; और -	1. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस	
	बल - अध्यक्ष;	
(ख) अभ्यर्थी,-	्र नगरें न वेंनीय निर्न प्रतिस स्त	
(i) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तारीख 15 दिसंबर, 2008 के	2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	
स्थाई आदेश सं04 के अनुसार चिकित्सा प्रवर्ग शेप-। में हो;	- सदस्य;	
तथा	3. उप कमाडेंट या सहायक कमांडेंट	

(ii) सेवा का अच्छा रिकॉर्ड हो ।

टिप्पण-जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है या प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(अनुसचिवीय), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. हैड कांस्टेबल	*20 (2024)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन ।
(फर्राश) ।	*कार्यभार के आधार पर	'ग',	स्तर-4	
	परिवर्तन किया जा सकता	अराजपत्रित, अनुसचिवीय,	(25500-81100	
	है।	`	रू.) ।	
		याद्धक ।		

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा ।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नितः (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में ऐसे कांस्टेबल (फर्राश) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और - (ख) अभ्यर्थी,- (i) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तारीख 15 दिसंबर, 2008 के स्थाई आदेश सं04 के अनुसार चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हो; और (ii) सेवा का अच्छा रिकॉर्ड हो । टिप्पण-जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है या प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 3. उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. हैड कांस्टेबल	*20 (2024)	साधारण केंद्रीय सेवा	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन ।
(सफाई कर्मचारी	*कार्यभार के आधार पर	समूह 'ग',	स्तर-4	
अनुसचिवीय) ।	परिवर्तन किया जा सकता	अराजपत्रित,	(25500-81100	
	है।	·	रू.) ।	
		अनुसचिवीय, योद्धक ।		

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा ।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नित: (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में ऐसे कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और - (ख) अभ्यर्थी,- (i) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तारीख 15 दिसंबर, 2008 के स्थाई आदेश सं04 के अनसार चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 3. उप कमाडेंट या सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. आर.नौ-1/2024-संगठन (मंत्रालय)]

जी. पार्थसारथी, संयुक्त सचिव (पी.II).

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2024

- **G.S.R.** 597(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Head Constable(Daftry), Head Constable(Peon), Head Constable(Farash) and Head Constable(Safai Karamchari Ministerial) under Ministerial Cadre in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Reserve Police Force, Ministerial Cadre, Head Constable(Daftry), Head Constable(Peon), Head Constable(Farash) and Head Constable(Safai Karamchari Ministerial), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- Application.-These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these
 rules.
- 3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**-The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. **Disqualification.-**No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Ineligibility of non-citizens of India.-**No person, who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

7. **Superannuation.-**(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as per prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month, shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

- (2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule(1).
- 8. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 9. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and others special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Head Constable (Daftry).	*75 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial, Combatant.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Promotion:	(12) Group 'C' Departmental Promotion	(13) Not applicable.
 (a) Constable(Daftry) in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years regular service in the grade; and (b) the candidate shall be,- (i) in medical category SHAPE-I as per the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04, dated the 15th December, 2008; and (ii) has good record of service. NoteWhere juniors who have completed their qualifying or eligibility service or being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. 	Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force-Chairperson; 2. Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant (Ministerial), Central Reserve Police Force - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Head Constable	*131 (2024)	General	Level-4 in the	Non-selection.
(Peon).	*Subject to variation dependent on workload.	Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial, Combatant.	pay matrix (Rs. 25500- 81100).	

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Constable(Peon) in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years regular service in the grade; and (b) the candidate shall be,- (i) in medical category SHAPE-I as per the Central Reserve Police Force	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force- Chairperson; 2. Commandant, Central Reserve Police Force- Member; 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant (Ministerial), Central Reserve Police Force- Member.	Not applicable.

of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is	
less and have successfully completed their probation period for promotion to the next	
higher grade along with the juniors who have	
already completed such qualifying or eligibility service.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Head Constable	*20 (2024)	General	Level-4 in the	Non-selection.
(Farash).	*Subject to variation dependent on workload.	Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial, Combatant.	pay matrix (Rs. 25500- 81100).	

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Constable(Farash) in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years regular service in the grade; and (b) the candidate shall be,- (i) in medical category SHAPE-I as per the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04, dated the 15 th December, 2008; and (ii) has good record of service. NoteWhere juniors who have completed their qualifying or eligibility service or being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Chairperson; 2. Commandant, Central Reserve Police Force - Member; 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant (Ministerial), Central Reserve Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Head Constable (Safai Karamchari Ministerial).	*20 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial, Combatant.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Constable (Safai Karamchari Ministerial) in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years regular service in the grade; and (b) the candidate shall be,- (i) in medical category SHAPE-I as per the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04, dated the 15 th December, 2008; and (ii) has good record of service. NoteWhere juniors who have completed their qualifying or eligibility service or being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force	Not applicable.

[F. No. R.IX-1/2024-Org (Min.)]

G. PARTHASARATHI, Jt. Secy. (P-II)